

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, 01 February, 2021

G.S.R.....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely: -

1. (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Second Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of April, 2021.

2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014,-

I. in rule 3,-

(a) in sub-rule (1),-

(i) for the words, "and resident in India" the words "whether resident in India or otherwise" shall be substituted;

(ii) in *Explanation I*, for the words "one hundred and eighty two days" the words "one hundred and twenty days" shall be substituted;

(b) sub-rule (7) shall be omitted.

II. for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:-

**"6. Conversion of One Person Company into a Public company or a Private company.-**

(1) The One Person company shall alter its memorandum and articles by passing a resolution in accordance with sub-section (3) of section 122 of the Act to give effect to the conversion and to make necessary changes incidental thereto.

(2) A One Person company may be converted into a Private or Public Company, other than a company registered under section 8 of the Act, after increasing the minimum number of members and directors to two or seven members and two or three directors, as the case may be, and maintaining the minimum paid-up capital as per the requirements of the Act for such class of company and by making due compliance of section 18 of the Act for conversion.



(3) The company shall file an application in e-Form No.INC-6 for its conversion into Private or Public Company, other than under section 8 of the Act, along with fees as provided in the Companies (Registration offices and fees) Rules, 2014 by attaching documents, namely:-

- (a) Altered MOA and AOA;
- (b) copy of resolution;
- (c) the list of proposed members and its directors along with consent;
- (d) list of creditors; and
- (e) the latest audited balance sheet and profit and loss account.

(4) On being satisfied that the requirements stated herein have been complied with, the Registrar shall approve the form and issue the Certificate.

III. in rule 7,-

(a) in sub-rule (1), the words “ having paid up share capital of fifty lakhs rupees or less and average annual turnover during the relevant period is two crore rupees or less” shall be omitted.

(b) in sub-rule (4), in clause (i), the words “,the paid up share capital company is fifty lakhs rupees or less or average annual turnover is less than two crores rupees, as the case may be” shall be omitted.

IV. In the Annexure,

(a) the e-Form No.INC-5 shall be omitted.

(b) for the e-Form No.INC-6, the following form shall be substituted, namely:-



# e-FORM NO INC-6

[Pursuant to section 18 of the Companies Act, 2013 and Rule 6 and 7(4) the Companies (Incorporation) Rules, 2014]



## One Person Company and Private company- Application for Conversion

Form language  English  Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1. \*Application for  Conversion of OPC into private company  
 Conversion of OPC into public company  
 Conversion of Private company into OPC

2. (a) \*Corporate identity number (CIN) of the company    
(b) Global location number (GLN)

3. (a) Name of the company   
(b) Category   
(c) Sub-category of the company   
(d) Address of Registered office of the company

- (e) Date of incorporation of the company  
(f) email ID of the company   
(g) Whether company is having share capital or not

4. \*Name of the company at the time of incorporation (to be displayed in the certificate)

### Part A

5. \*Existing number of directors in the company   
(after addition)

(Number of directors shall be minimum 2 in case of conversion into private company or 3 in case of conversion into private company)

6. Particulars of special resolution  
(a) \*SRN of Form MGT-14   
(b) \*Date of filing MGT-14   
(c) \*Date of passing the special resolution

### 7. I. Capital structure of the company

(a) Authorized capital of the company (in Rs.)	<input type="text"/>
* (i) Number of equity shares	<input type="text"/>
Nominal amount per equity share	<input type="text"/>
Total amount of equity shares (in Rs.)	<input type="text"/>
* (ii) Number of preference shares	<input type="text"/>
Nominal amount per preference share	<input type="text"/>
Total amount of preference shares (in Rs.)	<input type="text"/>



\* (b) Paid up capital of the company (in Rs.)

(i) Number of equity shares  Nominal amount per equity share

Total amount of equity shares (in Rs.)

(ii) Number of preference shares  Nominal amount per preference share

Total amount of preference shares (in Rs.)

**II. Number of members**

(a) Maximum number of members

(b) Maximum number of members excluding proposed employees

(c) Number of members

(d) Number of members excluding proposed employee(s)

**PART B**

**8. Particulars of the person who will be sole member of the OPC subsequent upon conversion**

Director Identification number(DIN)  Pre-Fill

\*Income-tax permanent account number (PAN)  Verify Details

\*First Name

Middle Name

\*Surname

Family Name

\*  Father's Name  Mother's Name  Spouse's name

\*Gender  Male  Female  Transgender

\*Nationality  \*Date of Birth

\*Place of Birth (District & State)

\*Educational qualification

\*Occupation Type  Self-employed  Professional  Homemaker  Student  Serviceman

Area of occupation

Permanent Address

\*Line I

Line II

\*City



\*State/ Union Territory  \*Pin code

ISO Country code

Country

\*Phone (with STD/ISD code)  -

Mobile (with country code)  -

Fax

\*email id

\*Whether present address is same as the permanent address  Yes  No

Present Address

\*Line I

Line II

\*City

\* State/ Union Territory  \*Pin code

\*ISO Country code

Country

\*Phone (with STD/ISD code)  -

Mobile (with country code)  -

Fax

email id

\*Duration of stay at present address  year(s)  month(s)

If Duration of stay at present address is less than one year then address of previous residence

\*Proof of identity

{Values – Voters identity Card, Passport, Driving License, Aadhar Number}

\*Residential Proof

{Values: Bank Statement, Electricity Bill, Telephone Bill, Mobile bill}

9. Nomination

I (*Small description box*), the member of \* (*Small description box*) do hereby nominate (*Small description box*) who shall become the member of the company in the event of my death or incapacity to contract. I declare that the nominee is eligible for nomination within the meaning of Rule 2.1 of the Companies Rules, 2013.



10. Particulars of the person who will be nominee of the sole member subsequent upon conversion

Director Identification number(DIN)	<input type="text"/>	Pre-Fill	
*Income-tax permanent account number (PAN)	<input type="text"/>	Verify Details	
*First Name	<input type="text"/>		
Middle Name	<input type="text"/>		
*Surname	<input type="text"/>		
Family Name	<input type="text"/>		
* <input type="radio"/> Father's Name <input type="radio"/> Mother's Name <input type="radio"/> Spouse's name	<input type="text"/>		
*Gender <input type="checkbox"/> Male <input type="checkbox"/> Female <input type="checkbox"/> Transgender			
*Nationality	<input type="text"/>	*Date of Birth	<input type="text"/>
*Place of Birth (District & State)	<input type="text"/>		
*Educational qualification	<input type="text"/>		
*Occupation Type <input type="radio"/> Self-employed <input type="radio"/> Professional <input type="radio"/> Homemaker <input type="radio"/> Student <input type="radio"/> Serviceman			
Area of occupation	<input type="text"/>		
Permanent Address			
*Line I	<input type="text"/>		
Line II	<input type="text"/>		
*City	<input type="text"/>		
*State/ Union Territory	<input type="text"/>	*Pin code	<input type="text"/>
ISO Country code	<input type="text"/>		
Country	<input type="text"/>		
*Phone (with STD/ISD code)	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
Mobile (with country code)	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>		
*email id	<input type="text"/>		
*Whether present address is same as the permanent address <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
Present Address	<input type="text"/>		
*Line I	<input type="text"/>		
Line II	<input type="text"/>		



\*City

\* State/ Union Territory  \*Pin code

\*ISO Country code

Country

\*Phone (with STD/ISD code)  -

Mobile (with country code)  -

Fax

email id

\*Duration of stay at present address  year(s)  month(s)

If Duration of stay at present address is less than one year then address of previous residence

\*Proof of identity

{Values – Voters identity Card, Passport, Driving License, Aadhar Number}

\*Residential Proof

{Values: Bank Statement, Electricity Bill, Telephone Bill, Mobile bill}

### Attachments

1. \*Altered Memorandum of association
2. \*Altered Articles of association
3. \*copy of the duly attested latest financial statement.
4. \*Copy of board resolution authorizing giving of notice;
5. Copy of minutes, list of creditors and list of members.
6. Copy of NOC of every creditors with the application for Conversion.
7. Consent of the nominee
8. Copy of PAN card of the nominee and member
9. Proof of identity of the nominee and member
10. Residential proof of the nominee and member
11. Optional attachment(s) - if any.

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

### Declaration

I\*  
 a \* (Drop down) {Values: Director/Manager/Company Secretary /CEO/CFO} of the company declare that all the requirements of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect to the conversion of the company and matters precedent or incidental thereto have been complied with. I am authorized by the board of directors to give this declaration and to sign and submit this Form. It is further declared and verified that

\*Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per



the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association.

No objection certificate has been received from the members and creditors allowing conversion from private company into OPC or OPC into Public or Private Company as the case may be.

\*All the required attachments have been completely, correctly and legibly attached to this form.

**\*To be digitally signed by**

DSC BOX

\*Designation

\*Director identification number of the director; or  
DIN or PAN of the manager/CEO/CFO; or Membership  
number of the Company Secretary

DSC BOX

**To be digitally signed by**

Member (In case of conversion of OPC)

PAN or DIN of member

**Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.**

Modify

Check Form

Prescrutiny

Submit

For office use only:

Affix filing details

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date

(DD/MM/YYYY)

This e-Form is hereby registered


Digital signature of the authorising officer

Confirm submission

Date of signing

(DD/MM/YYYY)

[F. No. 1/13/2013 CL-V, Vol.IV]

  
01/2/2021  
K.V.R. MURTY, Joint Secretary.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 250(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2014 and last amended *vide* number G.S.R.44(E), dated the 25<sup>th</sup> January,2021.

\*\*\*\*\*



[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2021

सा.का.नि. ....(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम कंपनी (निगमन) दूसरा संशोधन नियम, 2021 है।  
(2) ये नियम 1 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में,-
  - I. नियम 3 में,-
    - (क) उप-नियम (1) में,
      - (i) "और भारत में निवासी" शब्दों के स्थान पर, "चाहे वह भारत में निवास करता है अथवा अन्यथा" शब्द रखे जाएंगे;
      - (ii) स्पष्टीकरण I में, "एक सौ बयासी दिन" शब्दों के स्थान पर "एक सौ बीस दिन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
    - (ख) उप-नियम (7) का लोप कर दिया जाएगा।
  - II. नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**"6. एकल व्यक्ति कंपनी का सार्वजनिक कंपनी अथवा निजी कंपनी में संपरिवर्तन.-**

- (1) एकल व्यक्ति संपरिवर्तन को प्रभावी करने और उससे संबंधित आनुषंगिक आवश्यक परिवर्तन करने के लिए धारा 122 की उप-धारा (3) के अनुसार संकल्प पारित करके अपने नियम पत्र और अंतरनियमों को परिवर्तित करेगा।
- (2) एकल व्यक्ति कंपनी सदस्यों और निदेशकों की न्यूनतम संख्या दो अथवा सात सदस्यों और दो और तीन निदेशकों तक बढ़ाने, जैसा भी मामला हो, और कंपनी के ऐसे वर्ग के लिए अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार न्यूनतम परिदत्त पूंजी को अनुरक्षित करने तथा संपरिवर्तन के लिए अधिनियम की



धारा 18 की यथेष्ट अनुपालना करने के बाद अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी के अलावा, निजी अथवा सार्वजनिक कंपनी में संपरिवर्तित की जा सकती है।

(3) कंपनी निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करके कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 में किए गए प्रावधान के अनुसार, शुल्क सहित अधिनियम की धारा 8 के अधीन के अलावा, निजी अथवा सार्वजनिक कंपनी में अपने संपरिवर्तन हेतु ई-प्ररूप संख्या आईएनसी-6 में आवेदन करेगी, अर्थात्:-

(क) एमओए और एओए में परिवर्तन;

(ख) संकल्प की एक प्रति;

(ग) प्रस्तावित सदस्यों और उनके निदेशकों की सूची उनकी सहमति के अनुसार;

(घ) देनदारों की सूची; और

(ङ) अद्यतन लेखापरीक्षक तुलनपत्र और लाभ और हानि खाता।

(4) उसमें उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुपालन से संतुष्ट होने के बाद पंजीयक प्ररूप को अनुमोदित करके प्रमाणपत्र जारी करेगा।

III. नियम 7 में,-

(क) उप-नियम (1) में, "पचास लाख रुपये अथवा उससे कम की परिदत्त शेयर पूंजी का भुगतान करने के बाद और संबंधित अवधि के दौरान वार्षिक आवर्तन दो करोड़ रुपये अथवा कम है" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

(ख) उप-नियम (4) में, खंड (i) में, "कंपनी की परिदत्त शेयर पूंजी पचास लाख रुपये अथवा उससे कम है अथवा औसत वार्षिक आवर्तन दो करोड़ रुपये से कम है, जैसा भी मामला हो" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

IV. अनुलग्नक में,-

(क) ई-प्ररूप संख्या आईएनसी-5 का लोप कर दिया जाएगा।

(ख) ई-प्ररूप संख्या आईएनसी-6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-



ई-प्ररूप सं. आईएनसी - 6

[ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 18 और  
कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 6  
और 7(4) के अनुसरण में ]



एकल व्यक्ति कंपनी और निजी  
कंपनी - संपरिवर्तन के लिए आवेदन

फॉर्म की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिन्दी

फॉर्म भरने के लिए अनुदेश किट को पढ़ें।

1. \*निम्नलिखित के लिए आवेदन

- एकल व्यक्ति कंपनी का प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन  
 एकल व्यक्ति कंपनी का पब्लिक कंपनी में संपरिवर्तन  
 प्राइवेट कंपनी का एकल व्यक्ति कंपनी में संपरिवर्तन

2. (क) \*कंपनी की कॉरपोरेट पहचान संख्या (सी. आई. एन.)

पूर्व पूरित

(ख) वैश्विक अवस्थान संख्या (जी. एल. एन.)

3. (क) कंपनी का नाम

(ख) श्रेणी

(ग) कंपनी की उपश्रेणी

(घ) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता

(ङ) कंपनी के निगमन की तारीख

(च) कंपनी का ई-मेल आई. डी.

(छ) क्या कंपनी की अंश पूंजी है या नहीं

4. \* निगमन के समय कंपनी का नाम (प्रमाणपत्र में प्रदर्शित किया जाने वाला)



**भाग क**

5. \* कंपनी में निदेशकों की मौजूदा सं.

(परिवर्धन के बाद)

(निदेशकों की संख्या प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन की दशा में न्यूनतम 2 और पब्लिक कंपनी में संपरिवर्तन की दशा में न्यूनतम 3 होगी)

6. विशेष संकल्प की विवरणियाँ

(क) \* प्ररूप एम. जी. टी. - 14 का एस. आर. एन.

(ख) \* प्ररूप एम. जी. टी. - 14 प्रस्तुत करने की तारीख

(ग) \* विशेष संकल्प पारित करने की तारीख

7. I. कंपनी की पूंजीगत संरचना

(क) कंपनी की प्राधिकृत पूंजी (रु. में)

\* (i) इक्विटी शेयरों की संख्या

प्रति इक्विटी शेयर सांकेतिक राशि

इक्विटी शेयरों की कुल राशि (रु. में)

\* (ii) अधिमान शेयरों की संख्या

प्रति अधिमान शेयर सांकेतिक राशि

अधिमान शेयरों की कुल राशि (रु. में)

\* (ख) कंपनी की समादत्त पूंजी (रु. में)

(i) इक्विटी शेयरों की संख्या

प्रति इक्विटी शेयर सांकेतिक राशि

इक्विटी शेयरों की कुल राशि (रु. में)

(ii) अधिमान शेयरों की संख्या

प्रति अधिमान शेयर सांकेतिक राशि

अधिमान शेयरों की कुल राशि (रु. में)

II. सदस्यों की संख्या (परिवर्धन के बाद)

(क) सदस्यों की अधिकतम संख्या

(ख) प्रस्तावित कर्मचारियों को छोड़कर सदस्यों की अधिकतम संख्या

(ग) सदस्यों की संख्या



(घ) प्रस्तावित कर्मचारी (कर्मचारियों) को छोड़कर सदस्यों की संख्या

भाग ख

8. ऐसे व्यक्ति की विवरणियाँ जो संपरिवर्तन के बाद एक व्यक्ति वाली कंपनी का एकमात्र सदस्य होगा।

निदेशक पहचान संख्या ( डिन )

पूर्व पूरित

\* आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन)

ब्यौरा सत्यापित करें

\* प्रथम नाम

मध्य नाम

\* उपनाम

परिवार नाम

\* ० पिता का नाम ० माता का नाम ० पति / पत्नी का नाम

\* लिंग  पुरुष  महिला  ट्रांसजेंडर

\* राष्ट्रियता

\* जन्म तिथि

\* जन्म स्थान (जिला एवं राज्य)

\* शैक्षिक योग्यता

\* उपजीविका का प्रकार

स्व - नियोजित

वृत्तिक

होम मेकर

छात्र

नौकरी पेशा

उपजीविका का क्षेत्र

स्थायी पता

\* लाइन I

लाइन II

\* शहर

\* राज्य / संघ राज्य क्षेत्र

\* पिन कोड



आई. एस. ओ. देश कोड

देश

\* फोन (एस. टी. डी. / आई. एस. डी. कोड के साथ)

मोबाइल (देश कोड के साथ)

फैक्स

\* ई-मेल आई. डी.

\* क्या वर्तमान पता एवं स्थायी पता एक ही है  हाँ  नहीं

वर्तमान पता

\* लाइन I

लाइन II

\* शहर

\* राज्य / संघ राज्य क्षेत्र

\* पिन कोड

\* आई. एस. ओ. देश कोड

देश

\* फोन (एस. टी. डी. / आई. एस. डी. कोड के साथ)

मोबाइल (देश के कोड के साथ)

फैक्स

ई-मेल आई. डी.

\* वर्तमान पता पर रहने की अवधि

वर्ष

महीना

यदि वर्तमान पर रहने की अवधि एक वर्ष से कम है तो पूर्व आवास का पता

\* पहचान का प्रमाण

(प्रमाण: मतदान पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नं.)

\* आवासीय प्रमाण



(प्रमाण: बैंक विवरण, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल)

9. नामांकन

मैं (.....), (.....) का सदस्य एतद्वारा (.....) को नामनिर्देशित करता हूँ जो मेरी मृत्यु या संविदा करने की असमर्थता की स्थिति में कंपनी का सदस्य होगा। मैं घोषणा करता हूँ कि नामनिर्देशिती कंपनी नियम, 2013 के नियम 2.1 के अर्थ के भीतर नामांकन के लिए पात्र है।

10. ऐसे व्यक्ति की विवरणियाँ, जो संपरिवर्तन के बाद एकमात्र सदस्य का नामनिर्देशिती होगा

निदेशक पहचापन संख्या (डिन)

पूर्व पूरित

\* आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन)

ब्यौरा सत्यापित करें

\* प्रथम नाम

मध्य नाम

\* उपनाम

परिवार नाम

\* ० पिता का नाम    ० माता का नाम    ० पति / पत्नी का नाम

\* लिंग     पुरुष     महिला     ट्रांसजेंडर

\* राष्ट्रीयता

\* जन्म तिथि

\* जन्म स्थान (जिला एवं राज्य)

\* शैक्षिक योग्यता

\* उपजीविका का प्रकार

स्व - नियोजित

वृत्तिक

होम मेकर

छात्र

नौकरी पेशा

उपजीविका का क्षेत्र

स्थायी पता

\* लाइन I

लाइन II

\* शहर

\* राज्य / संघ राज्य क्षेत्र

\* पिन कोड



आई. एस. ओ. देश कोड

देश

\* फोन (एस. टी. डी. / आई. एस. डी. कोड के साथ)

मोबाइल (देश कोड के साथ)

फैक्स

\* ई-मेल आई. डी.

\* क्या वर्तमान पता एवं स्थायी पता एक ही है  हाँ  नहीं

वर्तमान पता

\* लाइन I

लाइन II

\* शहर

\* राज्य / संघ राज्य क्षेत्र

\* पिन कोड

\* आई. एस. ओ. देश कोड

देश

\* फोन (एस. टी. डी. / आई. एस. डी. कोड के साथ)

मोबाइल (देश के कोड के साथ)

फैक्स

ई-मेल आई. डी.

\* वर्तमान पता पर रहने की अवधि

वर्ष

महीना

यदि वर्तमान पर रहने की अवधि एक वर्ष से कम है तो पूर्व आवास का पता

\* पहचान का प्रमाण

(प्रमाण: मतदान पहचान पत्र, पासपोर्ट, डाइविंग लाइसेंस, आधार नं.)

\* आवासीय प्रमाण

(प्रमाण: बैंक विवरण, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल)



**संलग्नक**

1. \* परिवर्तित संगम ज्ञापन
2. \* परिवर्तित संगम अनुच्छेद
3. \* सम्यक रूप से अधिप्रमाणित नवीनतम वित्तीय विवरण की प्रति
4. \* नोटिस देने के लिए प्राधिकृत करने वाले बोर्ड संकल्प की प्रति;

संलग्न करें

संलग्न करें

संलग्न करें

संलग्न करें

5. कार्यवृत्त की प्रति, लेनदारों की सूची एवं सदस्यों की सूची।
6. संपरिवर्तन के आवेदन के साथ प्रत्येक लेनदार के अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।
7. नामनिर्देशिती की सहमति
8. नामनिर्देशिती और सदस्य के पैन कार्ड की प्रति
9. नामनिर्देशिती और सदस्य के पहचान का प्रमाण
10. नामनिर्देशिती एवं सदस्य का आवासीय प्रमाण
11. वैकल्पिक संलग्नक - यदि कोई हो

संलग्न करें

संलग्न करें

संलग्न करें

संलग्न करें

संलग्न करें

**घोषणा**

मैं \*.....कंपनी का एक\* (ड्रॉप डाउन) वेल्थू : निदेशक / प्रबंधक / कंपनी सचिव / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / मुख्य वित्त अधिकारी घोषणा करता हूँ कि कंपनी के संपरिवर्तन और उससे पूर्वांगी या अनुषंगी सभी विषयों के बावत कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। मुझे यह घोषणा करने और इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने एवं इसे प्रस्तुत करने के लिए निदेशक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया है। यह भी घोषणा एवं सत्यापित किया जाता है कि:

- \*इस प्ररूप और उसके संलग्नक में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सही एवं पूर्ण है तथा इस प्ररूप की विषय वस्तु के लिए महत्वपूर्ण सूचना को दबाया या छिपाया नहीं गया है तथा संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद के अभिदाता प्रवर्तकों द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों के अनुसार है।
- प्राइवेट कंपनी को एकल व्यक्ति वाली कंपनी अथवा एकल व्यक्ति कंपनी को सार्वजनिक अथवा निजी कंपनी, जैसा भी मामला हो, में संपरिवर्तन को अनुमति देते हुए सदस्यों एवं लेनदारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया गया है।
- \*सभी अपेक्षित संलग्नकों को इस प्ररूप के साथ पूर्ण रूप से, सही ढंग से एवं सुपाठ्य रूप में संलग्न किया गया है।

\* डिजिटल हस्ताक्षर के लिए

पदनाम

डीएससी बॉक्स

निदेशक का निदेशक पहचान संख्या या प्रबंधक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मुख्य वित्त अधिकारी का डिन या पैन, या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या



डीएससी बॉक्स

डिजिटल हस्ताक्षर के लिए

सदस्य (एक व्यक्ति वाली कंपनी में संपरिवर्तन की दशा में)

सदस्य का पैन या डिन

**टिप्पण :** धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमशः गलत बयान एवं गलत साक्ष्य के लिए सजा का उपबंध किया गया है।

आशोधित करें

प्ररूप की जाँच करें

पूर्व संवीक्षा

प्रस्तुत करें

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए फाइलिंग ब्यौरां प्रस्तुत करें

ई-फॉर्म सेवा अनुरोध संख्या (एस. आर. एन.) ..... ई-फॉर्म प्रस्तुत करने की तारीख .... (दिन/महीना/वर्ष)

यह ई-फॉर्म एतद्वारा पंजीकृत .....

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर .....

[प्रस्तुतीकरण की पुष्टि करें]

हस्ताक्षर की तारीख ..... (दिन/महीना/वर्ष)

[फा.सं.1/13/2013/सीएल-V, खंड IV]

के.वी.आर. मूर्ति

01/2/2021

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

**नोट:** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि.250(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए और संख्यांक सा.का.नि. 44(अ), तारीख 25 जनवरी, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

\*\*\*\*\*